Share Department, Board & Coordination Division, HO Plot No.4 Sector 10, Dwarka, New Delhi-110075 Tel No. : 011-28044857, E-mail: hosd@pnb.co.in

Scrip Code : PNB	**Scrip Code : 532461**
National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza" Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051	BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001

Date: 31.08.2023

Dear Sir(s),

Reg: Newspaper Publication- Notice of EGM

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed a copy of the Notice of Extraordinary General Meeting of the Bank published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on 31.08.2023.

The above information is being submitted in compliance of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Thanking you

Yours faithfully,

EKTA PASRICHA

Digitally signed by EKTA PASRICHA
DN: cn=EKTA PASRICHA, c=IN, st=Delhi, o=Personal, title=5725, serialNumber=BEE4AE6E829EEEE60E0B52E2EF065410CCB94EC654442F55DAEC24909CCAF6C9
Date: 2023.08.31 15:22:50 +05'30'

पंजाब नैशनल बैंक P.N.B. शेयर विभाग बोर्ड व समन्वय प्रभाग H.O. Board & Coord. Division Share Department New Delhi-110075 प्र.का. नई दिल्ली-110075

(Ekta Pasricha)
Company Secretary

Encl: A/a

Share Department, Board & Coordination Division, HO Plot No.4 Sector 10, Dwarka, New Delhi–110075 Tel No. : 011-28044857, E-mail: hosd@pnb.co.in

FINANCIAL EXPRESS AUGUST 31, 2023

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

Head Office: Plot No. 4, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110 075
(Email hosd@pnb.co.in)

Notice of the Extraordinary General Meeting

This has reference to Bank's Notice dated 25.07.2023 (published in the newspapers on 27.07.2023) regarding the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of the Bank to be held on Wednesday, 27th September, 2023 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing(VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the following business:

a) Election of ONE Director from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government, pursuant to the provisions of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, Master Direction - Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 and other applicable laws/guidelines.

b) Approval of the appointment of Director nominated on the Board of the Bank by the Central Government under Section 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, in accordance with the provisions of Regulation 17(1C) of the SEBI (LODR) Regulations, by way of Ordinary Resolution.

Notes:

1. Pursuant to the SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January, 2023 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 and the MCA General Circular No.11/2022 dated 28th December, 2022 read with its preceding Circulars, **the detailed Notice of the EGM containing the relevant Forms for the Election has been sent *only* through email to all those Shareholders whose email addresses are registered with the Bank/Depository Participant (DP), in accordance with the aforementioned Circular(s).**
2. A copy of the detailed Notice of the EGM along with the relevant Forms is available on the website of the Bank i.e. **www.pnbindia.in**, the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com**.
3. Shareholders can join and participate in the EGM through VC/OAVM facility only. Shareholders participating through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of PNB (Shares and Meetings) Regulations, 2000. The instructions for participating in the EGM through VC/OAVM are set forth in the detailed Notice.
4. No person shall be entitled to attend the EGM through VC/OAVM and/or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, is submitted to the Bank in hard copy addressed to 'Share Department, Punjab National Bank, West Wing, Second Floor, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075' or through email at **hosd@pnb.co.in** OR to the Scrutinizer by e-mail to **sgsdel@gmail.com** with a copy marked to **evoting@nsdl.co.in** and **hosd@pnb.co.in**, not less than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. **5.00 p.m. of Friday, 22nd September, 2023.**
5. In compliance of Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and the provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended read with MCA Circulars, the Bank is providing its shareholders the facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the EGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the EGM) through the e-voting platform provided by NSDL. The shareholders are requested to follow the procedure as detailed in the Notice of the EGM.
6. **As already informed vide Notice dated 25.07.2023, the Specified/Cut-off Date for the purpose of determining the Shareholders eligible for participating (nominating, contesting and voting) in the aforesaid Election is Friday, 25th August, 2023. The last date and time for submission of Nomination forms by the shareholders desirous of contesting the election is Tuesday, 12th September, 2023 by 05.00 p.m.**

   The Cut-off date for determining the eligibility of shareholders for e-voting in respect of the Agenda Item relating to the appointment of the Director under Section 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, is Wednesday, 20th September, 2023.
7. The Shareholders holding shares as on the Cut-Off Date(s) may follow the procedure as provided in the Notice for obtaining the login ID and password for e-voting. A person whose name is recorded in the Register of Shareholders / Beneficial owners (maintained by the Depositories) as on the Cut-Off Date(s) only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting for the respective agenda item(s) during the EGM. Any person, who acquires shares of the Bank and becomes a shareholder after emailing of the Notice of EGM and holding shares as on the Cut-Off Date(s), may follow the procedure as provided in the Notice of the EGM for obtaining the login ID and password for e-voting.
8. The remote e-voting will commence at **9:00 a.m.** on **Saturday, 23rd September, 2023 and end at 05.00 p.m. on Tuesday, 26th September, 2023** and the remote e-voting shall not be allowed beyond this date and time.
9. In terms of the E-voting Rules, only those shareholders, who are present in the EGM through VC/OAVM and have not cast their vote through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be allowed to vote through e-voting system at the EGM. A shareholder may participate in the EGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but such a shareholder shall not be allowed to vote again during the EGM.
10. In terms of provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. If any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.
11. Shareholders holding shares in physical form as on the Cut-off date and/or those who have not registered their email id with the Bank/Depository are requested to follow the procedure for casting vote through remote e-voting or e-voting at the EGM, as stipulated in the Notice of the EGM.
12. Shareholders holding shares in physical form who have not registered their email id are requested to register the same with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd. by sending an email at **beetalrta@gmail.com** and holding shares in demat form and have not registered/updated their email ids are requested to approach their Depository Participant (DP) for the same.
13. In case of any query/grievance connected with the facility for e-voting or attending the EGM through VC, shareholders may contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager at **evoting@nsdl.co.in** or at telephone nos.: 022-48867000 and 022-24997000.
14. For all the information relating to the EGM/Election, Shareholders are requested to visit Bank's website i.e. **www.pnbindia.in**.

By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank
(Ekta Pasricha)
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 30.08.2023

Share Department, Board & Coordination Division, HO Plot No.4 Sector 10, Dwarka, New Delhi–110075 Tel No. : 011-28044857, E-mail: hosd@pnb.co.in

जनसत्ता | 31 अगस्त, 2023

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

प्रधान कार्यालयः प्लॉट सं. 4, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली–110 075
(ई–मेलः hosd@pnb.co.in)

असाधारण आम बैठक की सूचना

यह सूचना बुधवार, दिनांक 27 सितंबर, 2023 प्रातः 11.00 बजे (भारतीय मानक समय) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) से संबंधित हमारे नोटिस दिनांक 25.07.2023 (27.07.2023 को समाचार पत्रों में प्रकाशित) के संदर्भ में है जिसमें निम्नलिखित कार्य किए जाएंगेः

क. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधान, पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000, मास्टर निर्देश – भारतीय रिजर्व बैंक (पीएसबी के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड) दिशानिर्देश, 2019 और अन्य लागू विधि/दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार के अतिरिक्त बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक का चुनाव।

ख. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(सी), सेबी (एलओडीआर) विनियम के विनियम 17(1सी) के प्रावधानों के अंतर्गत, साधारण संकल्प के माध्यम से, केंद्र सरकार द्वारा बैंक के बोर्ड में नामित निदेशक की नियुक्ति का अनुमोदन।

टिप्पणियाँः

1. सेबी परिपत्र संख्या सेबी/प्रका/सीएफडी/पीओडी–2/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 के साथ पठित सेबी परिपत्र संख्या सेबी/प्रका/सीएफडी/पीओडी–2/पी/परि/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 के अनुसार और एमसीए सामान्य परिपत्र संख्या 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 को इसके पूर्ववर्ती परिपत्रों के साथ पठित, ईजीएम की विस्तृत सूचना जिसमें चुनाव के लिए प्रासंगिक फॉर्म शामिल हैं, उन सभी शेयरधारकों को जिनके ई–मेल पते उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार बैंक/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं, केवल ई–मेल के माध्यम से भेजा गया है।
2. प्रासंगिक फॉर्म के साथ ईजीएम की विस्तृत सूचना की एक प्रति बैंक की वेबसाइट अर्थात **www.pnbindia.in** स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** तथा **www.nseindia.com** पर उपलब्ध है।
3. शेयरधारकों केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले शेयरधारकों की पीएनबी (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 के विनियमन 58 के अंतर्गत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिनती की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने के निर्देश विस्तृत नोटिस में दिए गए हैं।
4. कोई भी व्यक्ति, किसी निकाय कॉर्पोरेट के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने और/या ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रति बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 की शाम 5.00 बजे या से उससे पहले शेयर विभाग, पंजाब नैशनल बैंक, पूर्वी विंग, दूसरा तल, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075 को उल्लेखित करते हुए हार्ड कॉपी में बैंक में जमा किया गया या **hosd@pnb.co.in** पर ई–मेल के माध्यम से या संवीक्षक को ई–मेल द्वारा **sgsdel@gmail.com** पर **evoting@nsdl.co.in** तथा **hosd@pnb.co.in** पर मार्क करके भेजी जाए।
5. सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 44 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों के अनुपालन में, यथासंशोधित एमसीए परिपत्रों के साथ पठित, बैंक अपने शेयरधारकों को नेशनल सिक्योरिटीज निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान किए गए ई–वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधन (ईजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग) द्वारा ईजीएम में किए जाने वाले कार्य के संबंध में वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ईजीएम के नोटिस में वर्णित प्रक्रिया का पालन करें।
6. **जैसा कि नोटिस दिनांक 25.07.2023 द्वारा पहले ही सूचित किया जा चुका है उपर्युक्त चुनाव में भाग लेने (नामांकन, चुनाव लड़ने और मतदान) के लिए पात्र शेयरधारकों को निर्धारित करने के उद्देश्य से निर्दिष्ट/कट–ऑफ तिथि शुक्रवार, 25 अगस्त, 2023 है। चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों द्वारा नामांकन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि और समय मंगलवार, 12 सितंबर, 2023 शाम 05.00 बजे तक है।**

   बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(सी) के अंतर्गत निदेशक की नियुक्ति से संबंधित एजेंडा आइटम के संबंध में ई–वोटिंग के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट–ऑफ तिथि बुधवार, 20 सितंबर, 2023 है।
7. कट–ऑफ तिथि पर शेयर रखने वाले शेयरधारक ई–वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए नोटिस में दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि पर शेयरधारकों/लाभकारी मालिकों (डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए) के रजिस्टर में दर्ज है, ईजीएम के दौरान एजेंडा आइटम केवल संबंधित के लिए रिमोट ई–वोटिंग/ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। कोई भी व्यक्ति, जो बैंक का शेयर धारण करता है और ईजीएम के नोटिस को ई–मेल करने के बाद शेयरधारक बन जाता है और कट–ऑफ तिथि (तिथियों) पर शेयर रखता है, ई–वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए ईजीएम के नोटिस में प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।
8. रिमोट ई–वोटिंग शनिवार, **23 सितंबर, 2023 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी** और इस तिथि और समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
9. ई–वोटिंग नियमों के अनुसार, केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित हैं और उन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया है, उन्हें ईजीएम में मतदान प्रणाली के माध्यम से वोट करने की अनुमति दी जाएगी। कोई शेयरधारक रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी ईजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन ऐसे शेयरधारक को ईजीएम के दौरान दोबारा वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
10. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने द्वारा रखे गए शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार का 10% से अधिक मतदान के अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा। यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो वोटिंग के संबंध में रजिस्टर में सबसे पहले नामित व्यक्ति को उसका एकमात्र धारक माना जाएगा।
11. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों कट–ऑफ तिथि पर और/या जिन्होंने बैंक/डिपॉजिटरी के साथ अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे ईजीएम में रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की प्रक्रिया का पालन करें। जैसा कि ईजीएम की सूचना में निर्धारित है।
12. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक, जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे इसे बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) अर्थात मेसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड के पास **beetalrta@gmail.com** पर एक ई–मेल भेजकर पंजीकृत करें और वे शेयरधारक जिनके पास डीमैट फॉर्म में शेयर हैं और उन्होंने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत/अपडेट नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे इसके लिए अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें।
13. वीसी के माध्यम से ई जीएम में भाग लेने की सुविधा से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, शेयरधारक सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक से **evoting@nsdl.co.in** पर या टेलीफोन नंबरः 022–48867000 और 022–24997000 पर संपर्क कर सकते हैं।
14. ईजीएम/चुनाव से संबंधित सभी जानकारी के लिए, शेयरधारकों से बैंक की वेबसाइट अर्थात **www.pnbindia.in** पर जाने का अनुरोध किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक
(एकता पसरीचा)
कम्पनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.08.2023